



कृषि साख में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका: गया जिला, बिहार का एक अनुभवजन्य अध्ययन

चन्द्र भूषण कुमार

शोधार्थी, स्नातकोत्तर श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा

प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एस. एस. कॉलेज, जहानाबाद, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

लेख विवरण

सारांश

शोधपत्र

प्राप्ति तिथि: 20/04/2025
स्वीकृति तिथि: 21/04/2025
प्रकाशनतिथि: 30/04/2025

मुख्य शब्द: कृषि साख, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन

कृषि साख किसानों की उत्पादन क्षमता एवं आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। किसानों को समय पर एवं सुलभ ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की गई। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बिहार के गया जिला में कृषि साख के क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आँकड़े 40 किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से संकलित किए गए। अध्ययन में प्रतिशत विश्लेषण का उपयोग किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि किसान क्रेडिट कार्ड ने कृषि निवेश, उत्पादन तथा किसानों की आय में सकारात्मक योगदान दिया है। साथ ही, इस योजना ने गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों पर किसानों की निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, जटिल दस्तावेजीकरण, ऋण स्वीकृति में विलंब तथा अपर्याप्त ऋण सीमा जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। अध्ययन निष्कर्षतः दर्शाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि साख एवं वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ बनाने का एक प्रभावी माध्यम है।

1. परिचय

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियों में से एक है तथा देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर निवेश की मांग करती है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, कृषि यंत्र, श्रम तथा अन्य आवश्यक कृषि आदानों पर व्यय शामिल होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसानों को पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। चूँकि अधिकांश कृषक, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसान, सीमित आय और बचत के कारण कृषि कार्यों के लिए आवश्यक पूंजी स्वयं उपलब्ध नहीं करा पाते, इसलिए कृषि साख उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

कृषि साख केवल उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करने का साधन नहीं है, बल्कि यह कृषि आधुनिकीकरण, तकनीकी नवाचार, फसल विविधीकरण तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि का आधार भी है। पर्याप्त ऋण सुविधा किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों, उन्नत कृषि उपकरणों तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाती है। साथ ही, कृषि ऋण प्राकृतिक आपदाओं, फसल क्षति, मूल्य अस्थिरता तथा अन्य जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार कृषि साख कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता तथा किसानों की आय वृद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन है।

भारत में लंबे समय तक किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः महाजनों, साहूकारों एवं अन्य गैर-संस्थागत स्रोतों द्वारा की जाती रही। इन स्रोतों से प्राप्त ऋण पर अत्यधिक ब्याज दरें लागू होती थीं, जिससे किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती थी। इसी कारण संस्थागत कृषि साख प्रणाली के विकास को राष्ट्रीय कृषि नीति का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया। वर्तमान समय में कृषि साख को किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन तथा ग्रामीण विकास के प्रमुख साधनों में से एक माना जाता है।

1.1 किसान क्रेडिट कार्ड योजना

कृषकों को सरल, त्वरित एवं सुलभ कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card-KCC) योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना की परिकल्पना इस विचार पर आधारित थी कि किसानों को बार-बार बैंक प्रक्रियाओं से गुजरने के बजाय एक ऐसी ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिसके माध्यम से वे अपनी कृषि

आवश्यकताओं के अनुरूप समय पर ऋण प्राप्त कर सकें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने कृषि ऋण वितरण प्रणाली को अधिक लचीला, सरल तथा किसानोन्मुख बनाने का प्रयास किया।

इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी भूमि जोत, फसल पैटर्न, उत्पादन लागत तथा कृषि आवश्यकताओं के आधार पर एक निश्चित ऋण सीमा प्रदान की जाती है। किसान इस सीमा के अंतर्गत आवश्यकतानुसार धनराशि निकाल सकते हैं तथा निर्धारित अवधि के भीतर उसका पुनर्भुगतान कर सकते हैं। इससे ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनती है। समय के साथ इस योजना का दायरा केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी तथा अन्य कृषि-संबंधी गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का एक प्रमुख उद्देश्य किसानों की गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों पर निर्भरता को कम करना तथा उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। यह योजना किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराकर कृषि निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे उत्पादन क्षमता एवं आय में वृद्धि की संभावनाएँ बढ़ती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

1.2 बिहार और गया जिला में कृषि ऋण की प्रासंगिकता

बिहार भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ कृषि आज भी ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। राज्य की बड़ी आबादी कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है, जबकि अधिकांश कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी से संबंधित हैं। सीमित भूमि जोत, कम आय स्तर तथा संसाधनों की कमी के कारण किसानों की कृषि निवेश क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर रहती है। ऐसी परिस्थितियों में संस्थागत कृषि ऋण किसानों के लिए उत्पादन बनाए रखने तथा कृषि गतिविधियों का विस्तार करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है।

गया जिला बिहार का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जहाँ कृषि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार का मुख्य आधार है। जिले में धान, गेहूँ, मक्का, दलहन एवं तिलहन जैसी फसलों की व्यापक खेती की जाती है। हालांकि कृषि की संभावनाएँ पर्याप्त हैं, फिर भी किसानों को सिंचाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता, उत्पादन लागत में वृद्धि, प्राकृतिक जोखिम तथा वित्तीय संसाधनों की कमी जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बीच कृषि ऋण किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह उन्हें कृषि निवेश हेतु आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराता है।

गया जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह किसानों को संस्थागत ऋण तक पहुँच प्रदान करती है तथा उन्हें साहूकारों एवं अन्य अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहने की आवश्यकता को कम करती है। इसके अतिरिक्त, यह योजना किसानों को कृषि गतिविधियों के विस्तार, उत्पादकता में सुधार तथा आय वृद्धि के लिए वित्तीय आधार प्रदान करती है। इसलिए गया जिले में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका और प्रभावशीलता का अध्ययन कृषि विकास की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है।

1.3 अध्ययन की आवश्यकता

किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू हुए दो दशक से अधिक समय बीत चुका है और इसे भारत की प्रमुख कृषि साख योजनाओं में स्थान प्राप्त है। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में इस योजना की उपलब्धियों और प्रभावों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। अनेक किसानों को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है, जबकि कुछ किसान अभी भी ऋण प्राप्ति की प्रक्रियागत कठिनाइयों, जागरूकता के अभाव, अपर्याप्त ऋण सीमा तथा बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुँच जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि योजना के वास्तविक प्रभाव का क्षेत्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाए। गया जिले के संदर्भ में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका पर उपलब्ध अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं। अधिकांश शोध राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के आँकड़ों पर आधारित रहे हैं, जिनमें स्थानीय परिस्थितियों, किसानों के अनुभवों तथा क्षेत्रीय चुनौतियों का पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया है। गया जिले की सामाजिक, आर्थिक एवं कृषि संबंधी विशेषताएँ अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं, इसलिए यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रभावशीलता का पृथक अध्ययन आवश्यक है प्रस्तुत अध्ययन इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह अध्ययन किसानों की कृषि साख तक पहुँच, कृषि निवेश, उत्पादन, आय तथा गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भरता में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का अनुभवजन्य मूल्यांकन करेगा। साथ ही, यह योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं और सुधार की संभावनाओं को भी स्पष्ट करेगा।

2. साहित्य समीक्षा

कृषि साख कृषि विकास, उत्पादकता वृद्धि तथा किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर विभिन्न ऋण योजनाएँ संचालित की गई हैं। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि इसका उद्देश्य किसानों को समय पर, पर्याप्त तथा सरल ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि साख, किसान क्रेडिट कार्ड तथा वित्तीय समावेशन के संबंध में अनेक

शोधकर्ताओं ने अध्ययन किए हैं, जिनसे इस विषय की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक समझ विकसित होती है।

2.1 कृषि साख पर अध्ययन

कृषि क्षेत्र में पूंजी की उपलब्धता को उत्पादन वृद्धि एवं ग्रामीण विकास का आधार माना जाता है। कुमार, सिंह एवं कुमार ने ग्रामीण ऋण व्यवस्था का अध्ययन करते हुए पाया कि किसानों की भूमि जोत, शिक्षा स्तर तथा आर्थिक स्थिति ऋण स्रोतों के चयन को प्रभावित करती है। अध्ययन के अनुसार संस्थागत ऋण किसानों को अपेक्षाकृत कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा कृषि निवेश को बढ़ावा देता है [2]। सिंधु एवं गिल ने कृषि ऋण एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि संस्थागत ऋण व्यवस्था के विस्तार से किसानों की साहूकारों एवं अन्य गैर-संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता में कमी आती है। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि ऋण की उपलब्धता किसानों को उत्पादन जोखिमों का सामना करने तथा कृषि गतिविधियों का विस्तार करने में सहायता प्रदान करती है [3]।

सिंह एवं सेखों ने अपने अध्ययन में पाया कि समय पर उपलब्ध कृषि ऋण किसानों को उन्नत कृषि आदानों के उपयोग हेतु प्रेरित करता है, जिससे कृषि उत्पादकता एवं आय में वृद्धि होती है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि कृषि ऋण किसानों की आर्थिक स्थिरता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है [4]। उपलब्ध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि कृषि साख केवल वित्तीय सहायता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा ग्रामीण आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है।

2.2 किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर अध्ययन

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसानों को सरल एवं समयबद्ध ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में किया गया है। नाहटकर, मिश्रा, रघुवंशी एवं बेओहार ने मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मूल्यांकन करते हुए पाया कि इस योजना ने ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाया तथा किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया [5]। अध्ययन के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के कारण किसानों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ी तथा ऋण वितरण प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हुई।

राव एवं साहू ने ओडिशा राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का अध्ययन करते हुए पाया कि योजना ने किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति में सकारात्मक योगदान दिया, किन्तु कुछ किसानों द्वारा ऋण राशि का उपयोग कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया गया [6]। इस कारण ऋण के उत्पादक उपयोग की निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया।

वेदिनी एवं दुर्गा ने आंध्र प्रदेश में KCC योजना के मूल्यांकन में पाया कि अधिकांश किसान योजना के लाभों से परिचित थे तथा इसे कृषि ऋण प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम मानते थे। अध्ययन में जागरूकता एवं शिक्षा को योजना की सफलता के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में चिन्हित किया गया [7]।

संगवान ने विभिन्न राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विस्तार का विश्लेषण करते हुए पाया कि राज्यों के बीच योजना का प्रदर्शन समान नहीं था। कुछ राज्यों में योजना का व्यापक विस्तार हुआ, जबकि पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में इसकी पहुँच अपेक्षाकृत सीमित रही [8]।

समंतराय ने KCC योजना के संचालन एवं प्रदर्शन का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला कि यह कृषि ऋण वितरण का प्रभावी साधन है, किन्तु इसके कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानताएँ एवं संस्थागत बाधाएँ मौजूद हैं [9]।

बिस्ता, कुमार एवं माथुर ने भारत तथा बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति एवं प्रदर्शन का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड लाभार्थी किसानों का सकल प्रतिफल तथा शुद्ध आय गैर-लाभार्थी किसानों की तुलना में अधिक थी। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि KCC लाभार्थियों की लेन-देन लागत कम थी तथा वे कृषि आदानों पर अधिक निवेश करने में सक्षम थे। अध्ययन के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड ने कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया [1]। साथ ही, लंबी कागजी प्रक्रिया, अपर्याप्त ऋण सीमा तथा ऋण वितरण में विलंब जैसी समस्याएँ योजना की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

2.3 वित्तीय समावेशन पर अध्ययन

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है।

नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुँच बढ़ाने तथा उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है [10]। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि योजना के विस्तार के लिए जागरूकता कार्यक्रमों एवं प्रक्रियागत सुधारों की आवश्यकता है।

बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (BIRD) के अध्ययन में पाया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कृषि ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा किसानों की औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक पहुँच मजबूत हुई [11] ।

बिस्ता, कुमार एवं माथुर ने अपने अध्ययन में पाया कि किसानों की शिक्षा, भूमि जोत तथा कृषि अनुभव KCC अपनाने के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जटिल बैंकिंग प्रक्रियाएँ तथा सीमित जागरूकता योजना के व्यापक विस्तार में बाधक हैं ।

2.4 शोध अंतराल

उपलब्ध साहित्य के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रदर्शन, कृषि ऋण वितरण, किसानों की आय तथा वित्तीय समावेशन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर करते हैं। कई अध्ययनों में योजना की उपलब्धियों एवं चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है, किन्तु जिला स्तर पर इसकी वास्तविक प्रभावशीलता का अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुआ है। विशेष रूप से बिहार के गया जिला के संदर्भ में किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर अनुभवजन्य शोध अत्यंत सीमित हैं। उपलब्ध साहित्य में गया जिले के किसानों की कृषि साख तक वास्तविक पहुँच, कृषि निवेश पर प्रभाव, कृषि आय में परिवर्तन तथा गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों पर निर्भरता में कमी का विस्तृत विश्लेषण नहीं मिलता। अधिकांश अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित हैं तथा किसानों के प्रत्यक्ष अनुभवों एवं स्थानीय चुनौतियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती अध्ययनों में योजना के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का एकीकृत मूल्यांकन भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। इसलिए गया जिला के किसानों से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का अध्ययन न केवल स्थानीय स्तर पर योजना की प्रभावशीलता को समझने में सहायक होगा, बल्कि कृषि साख एवं वित्तीय समावेशन संबंधी विद्यमान साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान भी प्रदान करेगा।

3. अध्ययन के उद्देश्य एवं अनुसंधान पद्धति

1. गया जिला के किसानों के मध्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पहुँच एवं उपयोग की स्थिति का अध्ययन करना।
2. कृषि निवेश (बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्र आदि) पर किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का विश्लेषण करना।
3. किसानों की कृषि उत्पादकता एवं कृषि आय पर किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. किसानों की गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों (साहूकार, महाजन आदि) पर निर्भरता में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का अध्ययन करना।
5. किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने एवं उपयोग करने में किसानों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों की पहचान करना।
6. किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसके लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़े किसान क्रेडिट कार्ड धारक 40 किसानों से संरचित प्रश्नावली एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से संकलित किए गए हैं। द्वितीयक आँकड़े RBI, NABARD, SLBC बिहार, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण तथा विभिन्न शोध-पत्रों से प्राप्त किए गए हैं। नमूना चयन हेतु सरल यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति का प्रयोग किया गया। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत एवं सारणीकरण विधि द्वारा किया गया है।

4. परिणाम एवं चर्चा


गया जिला के 40 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक किसानों से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन का उद्देश्य कृषि साख तक पहुँच, कृषि निवेश, उत्पादन, आय तथा गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भरता में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का मूल्यांकन करना था।

सारणी 1 से स्पष्ट है कि अध्ययन में शामिल अधिकांश किसान 36-50 वर्ष आयु वर्ग के थे। उत्तरदाताओं में माध्यमिक शिक्षित किसानों की संख्या सर्वाधिक पाई गई। भूमि जोत के आधार पर सीमांत एवं लघु किसानों का प्रभुत्व था, जो गया जिले की कृषि संरचना को दर्शाता है।

सारणी 1: उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल

विवरण	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत (%)
आयु	18-35 वर्ष	10	25.0
	36-50 वर्ष	18	45.0
	51 वर्ष एवं अधिक	12	30.0
शिक्षा	अशिक्षित	6	15.0
	प्राथमिक	11	27.5
	माध्यमिक	15	37.5
	स्नातक एवं अधिक	8	20.0
भूमि जोत	सीमांत	17	42.5
	लघु	13	32.5
	मध्यम एवं बड़े	10	25.0

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े




चित्र 1: उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का वितरण

सारणी 2: किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का प्रमुख उपयोग

उपयोग का उद्देश्य	संख्या	प्रतिशत (%)
बीज खरीद	12	30.0
उर्वरक एवं कीटनाशक	10	25.0
सिंचाई	7	17.5
कृषि यंत्र	5	12.5
अन्य कृषि कार्य	6	15.0
कुल	40	100.0

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े




चित्र 2: किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के उपयोग का उद्देश्य

सारणी 2 से ज्ञात होता है कि अधिकांश किसानों ने KCC ऋण का उपयोग बीज, उर्वरक तथा कीटनाशकों की खरीद के लिए किया। इससे स्पष्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड मुख्यतः उत्पादन संबंधी गतिविधियों के वित्तपोषण में उपयोग किया जा रहा है।

सारणी 3: कृषि निवेश पर किसान क्रेडिट कार्ड का प्रभाव

प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत (%)
उल्लेखनीय वृद्धि	18	45.0
सामान्य वृद्धि	14	35.0
सीमित वृद्धि	6	15.0
कोई परिवर्तन नहीं	2	5.0
कुल	40	100.0

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े




चित्र 3: किसान क्रेडिट कार्ड के कारण कृषि निवेश में परिवर्तन

सारणी 3 से स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत किसानों ने माना कि किसान क्रेडिट कार्ड के कारण कृषि निवेश में वृद्धि हुई। इससे योजना की सकारात्मक भूमिका प्रमाणित होती है।

सारणी 4: कृषि उत्पादन एवं आय पर प्रभाव

प्रभाव का स्तर	संख्या	प्रतिशत (%)
उच्च प्रभाव	16	40.0
मध्यम प्रभाव	15	37.5
निम्न प्रभाव	7	17.5
कोई प्रभाव नहीं	2	5.0
कुल	40	100.0

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े




चित्र 4: कृषि उत्पादन एवं आय पर किसान क्रेडिट कार्ड का प्रभाव

सारणी 4 दर्शाती है कि 77.5 प्रतिशत किसानों ने कृषि उत्पादन एवं आय पर किसान क्रेडिट कार्ड का सकारात्मक प्रभाव स्वीकार किया। समय पर ऋण उपलब्ध होने के कारण किसानों को कृषि आदानों में निवेश बढ़ाने का अवसर मिला।

सारणी 5: गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भरता में परिवर्तन

स्थिति	संख्या	प्रतिशत (%)
पूर्णतः कम हुई	15	37.5
आंशिक रूप से कम हुई	17	42.5
कोई परिवर्तन नहीं	6	15.0
बढ़ी है	2	5.0
कुल	40	100.0

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े




चित्र5: गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भरता में परिवर्तन

सारणी 5 से ज्ञात होता है कि 80 प्रतिशत किसानों ने स्वीकार किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के कारण साहूकारों एवं महाजनों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। यह योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सारणी 6: किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

समस्या	संख्या	प्रतिशत (%)
जटिल दस्तावेजीकरण	11	27.5
ऋण स्वीकृति में विलंब	9	22.5
अपर्याप्त ऋण सीमा	8	20.0
बैंक की दूरी	7	17.5
जानकारी का अभाव	5	12.5
कुल	40	100.0

स्रोत: प्राथमिक आँकड़े



चित्र6:किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

सारणी 6 के अनुसार जटिल दस्तावेजीकरण तथा ऋण स्वीकृति में विलंब किसानों द्वारा बताई गई प्रमुख समस्याएँ हैं। यह दर्शाता है कि योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सरल बनाने की आवश्यकता है।

अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना गया जिला में कृषि साख का एक प्रभावी माध्यम है। इस योजना ने किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराकर कृषि निवेश, उत्पादन एवं आय में वृद्धि करने में सहायता प्रदान की है। साथ ही, गैर-संस्थागत ऋण

स्रोतों पर निर्भरता कम करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण एवं ऋण सीमा से संबंधित समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं, जिनके समाधान से योजना की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

5. निष्कर्ष

कृषि क्षेत्र में पर्याप्त एवं समय पर साख की उपलब्धता उत्पादन वृद्धि तथा किसानों की आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन में गया जिला के किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के अनुभवों के आधार पर योजना की भूमिका एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने तथा कृषि कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हुई, जिससे कृषि निवेश में वृद्धि हुई और उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायता मिली। योजना ने किसानों की कृषि आय में सुधार लाने तथा उनकी आर्थिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित बनाने में भी सकारात्मक भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों की साहूकारों एवं अन्य गैर-संस्थागत ऋण स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की उपयोगिता के बावजूद इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ बाधाएँ मौजूद हैं। ऋण प्राप्ति की जटिल प्रक्रियाएँ, दस्तावेजीकरण संबंधी कठिनाइयाँ, ऋण स्वीकृति में विलंब तथा सीमित ऋण सीमा जैसी समस्याएँ योजना के अपेक्षित लाभों को प्रभावित करती हैं। इन चुनौतियों के कारण कुछ किसानों को योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।

समग्र रूप से कहा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना गया जिला में कृषि साख का एक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। यह योजना कृषि निवेश, उत्पादन, आय वृद्धि तथा वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक रही है। तथापि, इसकी प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने के लिए संस्थागत एवं प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

6. सुझाव

- ❖ किसान क्रेडिट कार्ड योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया जाना चाहिए। अनावश्यक दस्तावेजीकरण को कम कर किसानों के लिए ऋण प्राप्ति को सुगम बनाया जा सकता है।
- ❖ कृषि लागत में निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऋण सीमा का निर्धारण किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं एवं वर्तमान कृषि व्यय के अनुरूप किया जाना चाहिए। विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- ❖ योजना के प्रति किसानों की जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंक, कृषि विभाग तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे किसानों को योजना की शर्तों, लाभों तथा उपयोग की प्रक्रिया के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त होगी।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि किसानों को ऋण संबंधी सेवाएँ शीघ्र और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो सकें। साथ ही, बैंक अधिकारियों और किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

अंततः, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, जिससे योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान कर उनका समय पर समाधान किया जा सके तथा कृषि विकास एवं किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके।

संदर्भ

1. बिस्ता, डी., कुमार, पी. एवं माथुर, वी. सी. (2012). "बिहार के विशेष संदर्भ के साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति एवं प्रदर्शन।" *एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिसर्च रिव्यू*, 25(1), 125-132।
2. कुमार, ए., सिंह, डी. के. एवं कुमार, पी. (2007). "ग्रामीण ऋण व्यवस्था का प्रदर्शन एवं ऋण स्रोतों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक।" *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स*, 62(3), 313-324।
3. सिंधु, आर. एस. एवं गिल, एस. एस. (2006). "भारत में कृषि ऋण एवं ऋणग्रस्तता: कुछ प्रमुख मुद्दे।" *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स*, 61(1), 141-156।

4. सिंह, एच. एवं सेखों, एम. के. (2005). "किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभों का अध्ययन।" *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स*, 60(3), 334–342।
5. नाहटकर, एस. बी., मिश्रा, पी. के., रघुवंशी, एन. के. एवं बेओहार, बी. बी. (2002). "किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मूल्यांकन: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का एक अध्ययन।" *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स*, 57(3), 578–586।
6. राव, के. आर. पी. एवं साहू, एस. (2005). *स्टडी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ऑफ ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक*. पुणे: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया।
7. वेदिनी, के. एच. एवं दुर्गा, पी. के. (2007). "आंध्र प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मूल्यांकन।" *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स*, 61(1), 372–380।
8. सांगवान, एस. एस. (2005). "नवाचारी ऋण उत्पाद एवं कृषि साख: किसान क्रेडिट कार्ड योजना का अध्ययन।" *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स*, 60(3), 381–389।
9. समंतराय, एस. (2010). *किसान क्रेडिट कार्ड: ए स्टडी*. ऑकेशनल पेपर संख्या 52. मुंबई: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया।
10. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट [नाबार्ड]. (2009). *एग्रीकल्चरल क्रेडिट डबलिंग प्रोग्राम 2004–05 से 2006–07: ए स्टडी रिपोर्ट*. मुंबई: नाबार्ड।
11. बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट [बर्ड]. (2000). *सपोर्ट फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम: ए स्टडी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड*. लखनऊ: बर्ड।